



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 1, 2016/पौष 11, 1937

No. 4]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 1, 2016/ PAUSA 11, 1937

## पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2016

**का.आ. 4(अ).**-- केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम (पर्यावरण) संशोधन नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की अनुसूची 1 में,-

(क) क्रम संख्या 41 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ख) क्रम संख्या 55 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी:-

क्रम संख्या	उद्योग	पैरामीटर	मानक
(1)	(2)	(3)	(4)
"55.	सामान्य बहिःस्त्राव उपचार संयंत्र (सीईटीपी)		
	क. अंतर्गम क्वालिटी मानक	प्रत्येक सामान्य बहिःस्त्राव उपचार संयंत्र (सीईटीपी) के लिए, राज्य बोर्ड सामान्य बहिःस्त्राव उपचार संयंत्र (सीईटीपी) तथा स्थानीय आवश्यकताओं और दशाओं की अभिकल्पना के अनुसार साधारण पैरामीटर, अमोनियम - नाइट्रोजन और भारी धातुओं के लिए अंतर्गम क्वालिटी मानक विहित करेगा।	

ख. उपचारित बहिःस्त्राव क्वालिटी मानक	अधिकतम अनुज्ञेय मान (पीएच और तापमान के सिवाय मिलीग्राम/लीटर में )		
	अंतर्देशीय भूपृष्ठ-जल में	सिंचाई के लिए भूमि पर	समुद्र में
साधारण पैरामीटर			
पीएच	6-9	6-9	6-9
जैव आक्सीजन मांग, बीओडी <sub>3</sub> , 27 <sup>0</sup> सेंटीग्रेड	30	100	100
रासायनिक आक्सीजन मांग (सीओडी)	250	250	250*
कुल निलंबित ठोस पदार्थ (टीएसएस)	100	100	100
नियत विघटित ठोस पदार्थ (एफडीएस)	2100*	2100*	एनएस*
<b>विनिर्दिष्ट पैरामीटर</b>			
तापमान, <sup>0</sup> सेंटीग्रेड	परिवेशी जल तापमान के ऊपर 5 <sup>0</sup> सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होगा	परिवेशी जल तापमान के ऊपर 5 <sup>0</sup> सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होगा	परिवेशी जल तापमान के ऊपर 5 <sup>0</sup> सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होगा
तेल और ग्रीज	10	10	10
अमोनियामय नाइट्रोजन	50	एनएस*	50
कुल जेलडेहल नाइट्रोजन (टीकेएन)	50	एनएस*	50
नाइट्रेट नाइट्रोजन	10	एनएस*	50
फास्फेट, पी के रूप में	5	एनएस*	एनएस*
क्लोराइड	1000	1000	एनएस*
सल्फेट एसओ <sub>4</sub> के रूप में	1000	1000	एनएस*
फ्लोराइड	2	2	15
सल्फाइड, एस के रूप में	2	2	5
फैनोलिक यौगिक मिश्रण	1	1	5

	(सी <sub>6</sub> एच <sub>5</sub> ओएच) के रूप में			
	योग अवशिष्ट क्लोरीन	1	1	1
	जस्त	5	15	15
	लौहा	3	3	3
	तांबा	3	3	3
	त्रिसंयोजक क्रोमियम	2	2	2
	मैगनीज	2	एनएस*	2
	निकिल	3	एनएस*	3
	आर्सेनिक	0.2	एनएस*	0.2
	साइनाइड सीएन के रूप में	0.2	एनएस*	0.2
	वेनेडियम	0.2	एनएस*	0.2
	सीसा	0.1	एनएस*	0.1
	हैक्सावैलेंट क्रोमियम	0.1	एनएस*	0.1
	सेलेनियम	0.05	एनएस*	0.05
	कैडमियम	0.05	एनएस*	0.05
	पारा	0.01	एनएस*	0.01
	जैव आमापन परीक्षण	उद्योग विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार	उद्योग विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार	उद्योग विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार
<p>एनएस* विनिर्दिष्ट नहीं है टिप्पणः</p> <p>1. *समुद्र में उपचारित बहिःस्त्राव का निस्सरण उचित समुद्री मुहाने के माध्यम से होगा। विद्यमान अपतट निस्सरण समुद्री मुहाने में संपरिवर्तित किया जाएगा। उन मामलों में जहां निस्सरण के बिंदु पर समुद्री मुहाना 150 गुणा न्यूनतम आरंभिक तनुकरण का और निस्सरण बिंदु से 100 मीटर दूर किसी बिंदु पर 1500 गुणा न्यूनतम तनुकरण का उपबंध करता है वहां राज्य बोर्ड सीओडी सीमा में छूट दे सकेगा :</p> <p>परंतु उपचारित बहिःस्त्राव में रासायनिक आक्सीजन मांग के लिए अधिकतम अनुज्ञेय मान 500 मिलिग्राम/लीटर से अधिक नहीं होगा।</p> <p>2. *सामान्य बहिःस्त्राव उपचार संयंत्र (सीईटीपी) की संघटक यूनिटों द्वारा अधिकतम अनुज्ञेय योगदान नियत विघटित ठोस पदार्थ (एफडीएस) 1000 मिली ग्राम/लीटर होगा। उन मामलों में जहां संघटक यूनिटों द्वारा प्रयोग किए गए कच्चे पानी में नियत विघटित ठोस पदार्थ (एफडीएस) पहले से ही अधिक है (अर्थात् यह 1100 मिली ग्राम/लीटर से अधिक है) वहां उपचारित बहिःस्त्राव में नियत विघटित ठोस पदार्थ (एफडीएस) के लिए अधिकतम अनुज्ञेय मान राज्य बोर्ड द्वारा तदनुसार उपांतरित किया जाएगा।</p> <p>3. सिंचाई के लिए भूमि पर उपचारित बहिःस्त्राव के निस्सरण की दशा में, मृदा और भूजल क्वालिटी पर समाघात सामान्य बहिःस्त्राव उपचार संयंत्र (सीईटीपी) प्रबंध द्वारा वर्ष में दो बार (मानसून से पूर्व और उसके पश्चात्) मानीटर किया जाएगा। सिंचाई के लिए भूमि पर उपचारित बहिःस्त्राव और मल जल के संयुक्त निस्सरण के लिए, मलजल के साथ मिश्रण अनुपात राज्य बोर्ड द्वारा विहित किया</p>				

	जाएगा।
	<b>4. सेक्टर विनिर्दिष्ट मानकों से चयनित कुछ महत्वपूर्ण सेक्टरों के लिए विनिर्दिष्ट पैरामीटर।</b>
<b>सेक्टर</b>	<b>विनिर्दिष्ट पैरामीटर</b>
टैक्सटाइल	जैव आपन परीक्षण, कुल क्रोमियम, सल्फाइड, फैनोलिक यौगिक मिश्रण
इलैक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग	तेल और ग्रीज, अमोनिया, नाइट्रोजन, निकिल, हैक्सावैलेंट क्रोमियम, कुल क्रोमियम, तांबा, जस्त, सीसा, लोहा, कैडमियम, सायनाइड, फ्लोराइड, सल्फाइड, फास्फेट, सल्फेट
चर्म शोधनशाला	सल्फाइड, कुल क्रोमियम, तेल और ग्रीज, क्लोराइड
रंजक और रंजक इंटरमिडिएट	तेल और ग्रीज, फैनोलिक यौगिक मिश्रण, कैडमियम, तांबा, मैगनीज, सीसा, पारा, निकिल, जस्त, हैक्सावैलेंट क्रोमियम, कुल क्रोमियम, जैव-आमापन परीक्षण, क्लोराइड, सल्फेट
जैविक रासायनिक विनिर्माण उद्योग	तेल और ग्रीज, जैव-आमापन परीक्षण, नाइट्रेट, आर्सेनिक, हैक्सावैलेंट क्रोमियम, कुल क्रोमियम, सीसा, साइनाइड, जस्त, पारा, तांबा, निकिल, फैनोलिक यौगिक मिश्रण, सल्फाइड
भेषजी उद्योग	तेल और ग्रीज, जैव-आमापन परीक्षण, पारा, आर्सेनिक, हैक्सावैलेंट क्रोमियम, सीसा, साइनाइड, फैनोलिक यौगिक मिश्रण, सल्फाइड, फास्फेट

[फा.सं. क्यू-15017/18/2014-सीपीडब्ल्यू]

डा. राशिद हसन, सलाहकार

**टिप्पण:** मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में का.आ. सं. 844(अ), तारीख 19 नवंबर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात उनमें निम्नलिखित अधिसूचनाओं के द्वारा संशोधन किए गए :

का.आ. सं. 433(अ), तारीख 18 अप्रैल, 1987; सा.का.नि. सं. 176(अ), तारीख 2 अप्रैल, 1996; सा.का.नि. सं. 97(अ), तारीख 18 फरवरी, 2009; सा.का.नि. सं. 149(अ), तारीख 4 मार्च, 2009; सा.का.नि. सं. 543(अ), तारीख 22 जुलाई, 2009; सा.का.नि. सं. 739(अ), तारीख 9 सितंबर, 2010; सा.का.नि. सं. 809(अ), तारीख 4 अक्टूबर, 2010; सा.का.नि. सं. 215(अ), तारीख 15 मार्च, 2011; सा.का.नि. सं. 221(अ), तारीख 18 मार्च, 2011; सा.का.नि. सं. 354(अ), तारीख 2 मई, 2011; सा.का.नि. सं. 424(अ), तारीख 1 जून, 2011;

सा.का.नि. सं. 446(अ), तारीख 13 जून, 2011; सा.का.नि. सं. 152(अ), तारीख 16 मार्च, 2012; सा.का.नि. सं. 266(अ), तारीख 30 मार्च, 2012; सा.का.नि. सं. 277(अ), तारीख 31 मार्च, 2012; सा.का.नि. सं. 820(अ), तारीख 9 नवंबर, 2012; सा.का.नि. सं. 176(अ), तारीख 18 मार्च, 2013; सा.का.नि. सं. 535(अ), तारीख 7 अगस्त, 2013; सा.का.नि. सं. 771(अ), तारीख 11 दिसंबर, 2013; सा.का.नि. सं. 2(अ), तारीख 2 जनवरी, 2014; सा.का.नि. सं. 229(अ), तारीख 28 मार्च, 2014; सा.का.नि. सं. 232(अ), तारीख 31 मार्च, 2014; सा.का.नि. सं. 325(अ), तारीख 7 मई, 2014; सा.का.नि. सं. 612(अ), तारीख 25 अगस्त, 2014; सा.का.नि. सं. 789(अ), तारीख 11 नवंबर, 2014; और अंत में अधिसूचना का.आ. सं. 3305(अ), तारीख 7 दिसंबर, 2015 द्वारा संशोधन किए गए थे।

## MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

### NOTIFICATION

New Delhi, the 1st January, 2016

**S.O. 4(E).**—In exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:—

1. **Short title and Commencement.**—(1) These rules may be called the Environment (Protection) Amendment Rules, 2015.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule-I,—
  - (a) the serial number 41 and the entries relating thereto, shall be omitted;
  - (b) for serial number 55 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—

S. No.	Industry	Parameter	Standards		
(1)	(2)	(3)	(4)		
“55.	<b>Common Effluent Treatment Plants(CETP)</b>				
	<b>A. Inlet Quality Standards</b>	For each Common Effluent Treatment Plant (CETP), the State Board will prescribe Inlet Quality Standards for General Parameters, Ammonical-Nitrogen and Heavy metals as per design of the Common Effluent Treatment Plant (CETP) and local needs & conditions.			
	<b>B: Treated Effluent Quality Standards</b>		Max. permissible values (in milligram/litre except for pH and Temperature)		
			Into inland surface water	On land for irrigation	Into sea
		<b>General Parameters</b>			
		pH	6 - 9	6 - 9	6 - 9
		Biological Oxygen Demand, BOD <sub>5</sub> , 27 °C	30	100	100
		Chemical Oxygen Demand (COD)	250	250	250 *
		Total Suspended Solids (TSS)	100	100	100
Fixed Dissolved Solids (FDS)	2100*	2100*	NS*		

<b>Specific parameters</b>				
Temperature, °C		Shall not exceed more than 5°C above ambient water temperature	Shall not exceed more than 5°C above ambient water temperature	Shall not exceed more than 5°C above ambient water temperature
Oil & Grease		10	10	10
Ammonical –Nitrogen		50	NS*	50
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)		50	NS*	50
Nitrate- Nitrogen		10	NS*	50
Phosphates, as P		5	NS*	NS*
Chlorides		1000	1000	NS*
Sulphates, as SO <sub>4</sub>		1000	1000	NS*
Flouride		2	2	15
Sulphides, as S		2	2	5
Phenolic compounds (as C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> OH)		1	1	5
Total Res. Chlorine		1	1	1
Zinc		5	15	15
Iron		3	3	3
Copper		3	3	3
Trivalent Chromium		2	2	2
Manganese		2	NS*	2
Nickel		3	NS*	3
Arsenic		0.2	NS*	0.2
Cyanide, as CN		0.2	NS*	0.2
Vanadium		0.2	NS*	0.2
Lead		0.1	NS*	0.1
Hexavalent Chromium		0.1	NS*	0.1
Selenium		0.05	NS*	0.05
Cadmium		0.05	NS*	0.05
Mercury		0.01	NS*	0.01
Bio-assay test		As per industry-specific standards	As per industry-specific standards	As per industry-specific standards
<p>*NS-Not specified</p> <p><b>Notes:</b></p> <p>1. *Discharge of treated effluent into sea shall be through proper marine outfall. The existing shore discharges shall be converted to marine outfalls. In cases where the marine outfall provides a minimum initial dilution of 150 times at the point of discharge and a minimum dilution of 1500 times at a point 100 m away from discharge point, then, the State Board may relax the Chemical Oxygen Demand (COD) limit:</p>				

<p>Provided that the maximum permissible value for Chemical Oxygen Demand (COD) in treated effluent shall be 500 milligram/litre.</p> <p>2. *Maximum permissible Fixed Dissolved Solids (FDS) contribution by constituent units of a Common Effluent Treatment Plant (CETP) shall be 1000 milligram/litre. In cases where Fixed Dissolved Solids (FDS) concentration in raw water used by the constituent units is already high (i.e. it is more than 1100 milligram/litre) then the maximum permissible value for Fixed Dissolved Solids (FDS) in treated effluent shall be accordingly modified by the State Board.</p> <p>3. In case of discharge of treated effluent on land for irrigation, the impact on soil and groundwater quality shall be monitored twice a year (pre- and post-monsoon) by Common Effluent Treatment Plants (CETP) management. For combined discharge of treated effluent and sewage on land for irrigation, the mixing ratio with sewage shall be prescribed by State Board.</p>	
4. Specific parameters for some important sectors, selected from sector-specific standards	
Sector	Specific Parameters
Textile	Bio-assay test, Total Chromium, Sulphide, Phenolic compounds
Electroplating Industries	Oil & Grease, Ammonia-Nitrogen, Nickel, Hexavalent Chromium, Total Chromium, Copper, Zinc, Lead, Iron, Cadmium, Cyanide, Fluorides, Sulphides, Phosphates, Sulphates,
Tanneries	Sulphides, Total Chromium, Oil & Grease, Chlorides
Dye & Dye Intermediate	Oil & Grease, Phenolic compounds, Cadmium, Copper, Manganese, Lead, Mercury, Nickel, Zinc, Hexavalent Chromium, Total Chromium, Bio-assay test, Chlorides, Sulphates,
Organic chemicals manufacturing industry	Oil & Grease, Bio-assay test, Nitrates, Arsenic, Hexavalent Chromium, Total Chromium, Lead, Cyanide, Zinc, Mercury, Copper, Nickel, Phenolic compounds, Sulphides
Pharmaceutical industry	Oil & Grease, Bio-assay test, Mercury, Arsenic, Hexavalent Chromium, Lead, Cyanide, Phenolic compounds, Sulphides, Phosphates.”

[F. No. Q-15017/18/2014-CPW]

Dr. RASHID HASAN, Advisor

**Note-** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number S.O. 844(E), dated the 19th November, 1986 and subsequently amended *vide* the following notifications:—

S.O. 433(E), dated the 18<sup>th</sup> April 1987; G.S.R. 176(E) dated the 2<sup>nd</sup> April, 1996; G.S.R. 97(E), dated the 18<sup>th</sup> February, 2009; G.S.R. 149(E), dated the 4<sup>th</sup> March, 2009; G.S.R. 543(E), dated the 22<sup>nd</sup> July, 2009; G.S.R. 739(E), dated the 9<sup>th</sup> September, 2010; G.S.R. 809(E), dated the 4<sup>th</sup> October, 2010, G.S.R. 215(E), dated the 15<sup>th</sup> March, 2011; G.S.R. 221(E), dated the 18<sup>th</sup> March, 2011; G.S.R. 354(E), dated the 2<sup>nd</sup> May, 2011; G.S.R. 424(E), dated the 1<sup>st</sup> June, 2011; G.S.R. 446(E), dated the 13<sup>th</sup> June, 2011; G.S.R. 152(E), dated the 16<sup>th</sup> March, 2012; G.S.R. 266(E), dated the 30<sup>th</sup> March, 2012; and G.S.R. 277(E), dated the 31<sup>st</sup> March, 2012; and G.S.R. 820(E), dated the 9<sup>th</sup> November, 2012; G.S.R. 176(E), dated the 18<sup>th</sup> March, 2013; G.S.R. 535(E), dated the 7<sup>th</sup> August, 2013; G.S.R. 771(E), dated the 11<sup>th</sup> December, 2013; G.S.R. 2(E), dated the 2<sup>nd</sup> January, 2014; G.S.R. 229 (E), dated the 28<sup>th</sup> March, 2014; G.S.R. 232(E), dated the 31<sup>st</sup> March, 2014; G.S.R. 325(E), dated the 07<sup>th</sup> May, 2014, G.S.R. 612(E), dated the 25<sup>th</sup> August, 2014; G.S.R. 789(E), dated the 11th November, 2014 and lastly amended *vide* notification S.O. 3305(E), dated the 7th December, 2015.